Helpline 1064   94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- **एसीबी (एस.यू.) अजमेर द्वारा परमेश्वर कुमार प्रजापत, सहायक व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल, पंचायत समिति भिनाय, जिला अजमेर को 30,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।**

जयपुर, दिनांक 03 जनवरी, शनिवार। एसीबी, मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी (एस०यू०) अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **परमेश्वर कुमार प्रजापत सहायक व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल, पंचायत समिति भिनाय, जिला अजमेर** को परिवादी से रिश्वत राशि **30,000/- रुपये** लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि एसीबी (एस०यू०) अजमेर को एक शिकायत इस आशय की प्राप्त हुयी कि परिवादी से उसकी पत्नि एवं स्वंय की पुश्तैनी कृषि भूमि की रबी की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2024-25 की राशि का मुआवजा पास करने की एवज मे दिनांक 23.12.25 को 30,000/- रूपये की रिश्वत राशि लेना तय कर आज दिनांक 03.01.26 को 30,000/- रुपये रिश्वत प्राप्त की।

जिस पर एसीबी, अजमेर रेंज, अजमेर के **पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत** के सुपरवीजन मे एवं **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वन्दना भाटी**, भ्रनिब्यूरो, एस.यू.-अजमेर के निर्देशन में **पुलिस निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह** एसीबी (एस.यू.) अजमेर द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए परमेश्वर कुमार प्रजापत सहायक व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल पंचायत समिति भिनाय, जिला अजमेर को 30,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।